

निष्पादन बजट वर्ष 2012-13

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2012-13	कवांतिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियां		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 10000/- एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	143160	10000 परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता (14316 हितग्राही)	11577	119110	
2	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए रूपये 300 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	1829770	60-79 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के 73911 हितग्राहियों को रू. 300/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के 73122 हितग्राहियों को रू. 600/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान । इसमें रूपये 100 राज्यांश समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से देय होता है।	662861	1768749	
3	विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना	(अ) छात्रवृत्तियां - नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।	27000	11000 विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय करना ।(प्राथमिक स्तर रू. 50, माध्यमिक स्तर रू 60, उच्च स्तर रू 70, स्नातक स्तर रू 125 एवं स्नातकाल्तर स्तर रू 170 प्रति छात्र प्रतिमाह ।	13099	2574 3016	
		(ब) स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान -नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण, प्रशिक्षण , आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था		✓ कुल 20 संस्थाओं को अनुदान देने का लक्ष्य है। ✓ भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रू. 2000/- ✓ अंतवासी के भरण-पोषण हेतु रू. 600/- प्रति अंतवासी प्रतिमाह ✓ कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	183	5498 500 4824	
		(स) नि:शक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि दिया जाना		प्रतिवर्ष 250 नि:शक्त व्यक्तियों को रूपये 21000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करना	460	9660	
		(द) योजना अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करना	4500	250 नि:शक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना	2003	4372	
4	विश्व विकलांग वर्ष	विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों को	800	✓ सर्वोत्तम नि:शक्त व्यक्ति 5001/-	4	800	

निष्पादन बजट वर्ष 2012-13

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2012-13	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियां		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रोत्साहित करने हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान		<ul style="list-style-type: none"> ✓ सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में रूपये 10000/-) ✓ सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था रूपये 5000/- ✓ सर्वोत्तम जिला-शिल्ड 			
5	छ.ग.किशोर न्याय अधि. के अंतर्गत संस्थाएं	किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना	5818	100 अंतःवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य	489	4449	
6	किशोर कल्याण निधि का गठन	किशोर न्याय अधि. 2000 के तहत किशोर कल्याण निधि से किशोरों के कल्याण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	1000	100 किशोरों को पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।			
7	किशोर सम्प्रेक्षणगृह विशेष गृह एवं किशोर गृह का उन्नयन	किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत संचालित सम्प्रेक्षण गृहों में सामग्री पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता		300 किशोरों को लाभान्वित किया जाना			
8	राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्तजन	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त व्यक्तियों को उनके निवास तक सेवाएं व संसाधन उपलब्ध कराना	17885	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1390 कृत्रिम अंग उपकरण (व्हील चेयर, ट्रायसकल का वितरण) ✓ 4103 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (निःशक्त) ✓ 875 छात्रवृत्ति (निःशक्त) ✓ स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना 	2189	11022	
9	समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता अनुदान	देखरेख की अपेक्षा रखने वाले बच्चों निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं का संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।	7000	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रदेश के 250 देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों, निराश्रित महिलाओं एवं भिक्षुओं को लाभान्वित करना। 2. प्रदेश के भिक्षुओं का पुनर्वास 3. विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवास 		3598	

निष्पादन बजट वर्ष 2012-13

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, समाज कल्याण

				राशि हजार में			
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2012-13	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियां		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	अंध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान (स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान जिसमें उनके शिक्षण प्रशिक्षण, आवास व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है ।	3000	20 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान । ✓ अतःवासी बच्चों के भरण-पोषण हेतु रूपये 600/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह ✓ भवन किराया कुल व्यय का 70 प्रतिशत एवं कार्यालय व्यय पर अधिकतम रूपये 2000 ✓ कर्मचारियों का वेतन/मानदेय	134	1032	
11	अशासकीय संस्थाओं को अंग अनुदान (कृत्रिम अंग उपकरण)	निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय किये जाते हैं ।	2600	1500 निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराना		2598	
12	प्रमस्तिष्क अंगाघात निःशक्तजनों हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान	प्रमस्तिष्क अंगाघात के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं	2992	सेलेब्रल पाल्सी के निःशक्तजनों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जावेगी।	25	1715	प्रतिमाह उपचार
13	अंधे बहरे तथा गूंगो के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	बौद्धिक मंदता वाली बालिकाओं के लिए सरगुजा, नारायणपुर एवं बालकों हेतु बीजापुर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए दंतेवाड़ा तथा श्रवण बाधित बालक/बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय जशपुर में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाना।	8205	200 बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था	40	8150	जशपुर विद्यालय स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।
14	अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएं (भवन निर्माण)	निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्था के बाधा रहित भवन निर्माण	2500	बाधा रहित भवन तथा उद्यान निर्माण		2102	
15	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, प्रचार-प्रसार एवं वृद्धाश्रम बहुसेवा केंद्र संचालन	18000	500 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, संरक्षण एवं सुरक्षा	650	16380	
16	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां	निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	2200	3000 विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना	13099	1611	

निष्पादन बजट वर्ष 2012-13

विभाग- समाज कल्याण विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,समाज कल्याण

राशि हजार में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2012-13	कवांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	वास्तविक उपलब्धियां		टिप्पणियां
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 40 से 59 वर्ष तक के आयु वाली विधवा को रू. 200/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	327445	40 से 59 वर्ष आयु वर्ग वाली 136435 विधवा हितग्राहियों को 200 रूपये प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	119391	275254	
18	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 64 वर्ष तक के आयु वाले गंभीर एवं बहु विकलांग व्यक्ति के लिये रू. 200/-प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदाय	66962	18 से 64 वर्ष आयु वर्ग वाले 27900 गंभीर एवं बहु विकलांग हितग्राहियों को 200 रूपये प्रतिमाह पेंशन भुगतान किया जावेगा	35608	80446	